न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़ (राज.)

संदीप बनाम शिशपाल वगैरा

प्रकरण का प्रकार 225 आरटीएक्ट अपील सं0 314 / 2022

आदेश दिनांक	आदेश या कार्यवाही पीठासीन अधिकारी के लघु हस्ताक्षर से युक्त	आदेश की पालना में प्रसारित पत्रांक एवं दिनांक
18.10.2022	पत्रावली वास्ते स्थगन प्रार्थना–पत्र पर आदेश हेतु पेश हुई। अपीलाण्ट का अपनी बहस में कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये पंजीकृत बैयनामा दिनांक 23.03.2018 को अपीलाण्ट को भूमि बैय की जा चुकी है तथा बैयनामा के रोज से ही उक्त आराजी अपीलाण्ट के आधिपत्य एवं धारण में चली आ रही है। परन्तु उक्त आराजी बैंक के रहन होने के कारण अपीलाण्ट के नाम राजस्व रिकार्ड में बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज नही हो सका । अपीलाण्ट प्रश्नगत 2.681 है0 आराजी की घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में अपने नाम दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम दर्ज आराजी को यदि रेस्पो0 सं0 1 अन्तरित करने में कामयाब हो जाता है तो अपीलाण्ट के हितों पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। अपीलाण्ट अपने आधिपत्य की धारण की आराजी को अपने नाम घोषणा करवाने से महरूम हो जायेगा। इसलिए अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जानी आवश्यक थी। परन्तु विचारण न्यायालय द्वारा इन तथ्यों की ओर कोई ध्यान ना देकर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसलिए न्यायालय हाजा द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 09.09.2022 जारी रखा जावे। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवाब प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट प्रश्गनत आराजी पर स्थगन आदेश प्राप्त	

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

	करने का अधिकारी नहीं है क्योंकि चक 2 एचएलएम, चक 1 एम व चक 1 जेडडब्लयू एम में विर्णत खातों की भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है। इस भूमि के संबंध में उसका कोई हक व हित निहित होने के कोई कथन नहीं किये हैं। जहां तक 2 एचएलएम के खाता संख्या 44/27 की 2.681 है0 भूमि का संबंध है इस भूमि से संबंधित विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में हर्षित आदि ने चुनौती दी है तथा यह विक्रय पत्र सिविल न्यायालय के समक्ष चुनौती अधीन है। इस दीवानी वादपत्र में सिविल न्यायलाय ने अपीलण्ट के विरूद्ध स्थगन जारी किया हुआ है। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व उसके पुत्र पुत्री के मध्य मिलीभगत होने के मिथ्या कथन किये हैं। अधीनस्थ न्यायालय के नोटिस जारी कर दिनांक 29.09.2022 की तिथि तलबी हतु निश्चित की थी। अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश में आगामी पेशी एक माह के भीतर की तारीख पेशी दी थी तथा अपीलाण्ट को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पो0 सं0 1 की तलबी करवाकर अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र पर सुनवाई करवाई जाना कानूनन अपेक्षित था। अधीनस्थ न्यायलाय के अन्तरिम आदेश जिसके अन्तर्गत स्थगन से इन्कार किया गया है के विरूद्ध यह अपील पोषणीय नहीं है। अपीलाण्ट का प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं बनता है। अतः स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे। रेस्पोडेण्ट के अधिवक्ता ने आरआरटी 2016–17 पेज 706, 2015 (1) डीएनजे राज पेज 119, आरआरटी 2014 (1) पेज 409 का न्यायिक दृष्टान्त पेश किया। उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाण्ट ने धारा 212 आरटीएक्ट में प्रार्थना–पत्र पेश किया था जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश के द्वारा	

Leavio

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

स्थगन आदेश नहीं जारी किया बल्कि प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये थे। जिसकी यह अपील पेश हुई जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा स्थगन आदेश जारी किया गया है। अपीलाण्ट का कथन है कि प्रश्नगत भूमि उसके द्वारा खरीद की हुई है जो अभी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है एवं यदि वह इस भूमि का बेचान हो जाता है तो उसके हित प्रभावित होंगे इसलिए प्रकरण में स्थगन आदेश जारी किया जाना आवश्यक है। अपील में रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार प्रश्नगत भूमि से संबंधित विक्रय पत्र को सिविल न्यायालय में हर्षित आदि ने चुनौति दे रखी है तथा यह विक्रय पत्र सिविल न्यायाल के समक्ष चुनौती अधीन है। इस दीवानी वाद में सिविल न्यायायल ने अपीलाण्ट के विरूद्ध स्थगन आदेश जारी किया हुआ है। ऐसी स्थिति में इस न्यायालय द्वारा स्थगन जारी किया जाना उचित है। अतः अपीलाण्ट का स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज किया जाता है। चूंकि स्थगन प्रार्थना–पत्र खारिज कर दिया गया है। अतः अपील को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है। फलस्वरूप अपील भी खारिज की जाती है। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम कर दाखिल दफ्तर हो।

18.X.22

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़